



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05032021-225669
CG-DL-E-05032021-225669

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 967]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 5, 2021/फाल्गुन 14, 1942

No. 967]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 5, 2021/PHALGUNA 14, 1942

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2021

का.आ. 1055(अ).—केंद्रीय सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 8 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के साथ पठित धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2119(अ), तारीख 26 जून, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में,--

- (i) पैरा 5 के उप पैरा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
“(4) जीएसटीआईएन रखने की अपेक्षा से छूट केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के उपबंधों के अनुसार होगी।”;
- (ii) पैरा 6 के उप पैरा (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उप पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
“(9) किसी स्वत्वधारी उद्यम के, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिनियम या नियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत न होने की दशा में स्वत्वधारी उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल में उद्यम के रजिस्ट्रीकरण के लिए अपने पैर का उपयोग कर सकेगा तथा सभी अन्य किस्म के उद्यमों के लिए पैर आज्ञापक होगा।”।

[फा. सं. 16/4/2019/पी-पीएंडजी/नीति (भाग 1)]

डी. के. सिंह, अपर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 2119(अ), तारीख 26 जून, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2021

S.O. 1055(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (9) of section 7 read with sub-sections (2) and (3) of section 8 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises number S.O. 2119 (E), dated the 26th June, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), namely:-

In the said notification,—

(i) in paragraph (5), after sub-paragraph (3), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

“(4) The exemption from the requirement of having GSTIN shall be as per the provisions of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017).”;

(ii) in paragraph (6), after sub-paragraph (8), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

“(9) In case of any proprietorship enterprise not registered under any Act or rules of the Central Government or the State Government, the proprietor may use his or her PAN for registration of the enterprise in the Udyam Registration portal and for all other types of enterprises PAN shall be mandatory.”.

[F.No.16/4/2019/P-P & G/Policy (Pt 1)]

D. K. SINGH, Addl. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 2119 (E), dated the 26th June, 2020.